

आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं०.....27...../17-18

राज्य बनाम साईकिल

आदेश का क्रम-संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख-सहित। 3
14.11.17	<p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बसनही थाना कांड संख्या-65/17 दिनांक-20.07.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन साईकिल को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।</p> <p>पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बसनही थाना अन्तर्गत रघुनाथपुर फिल्ड के समीप स्थित कच्ची सड़क जो रघुनाथपुर से टोला संथाली जाने वाले सड़क पर गश्ती के दौरान उसके साईकिल के कैरियर पर से अवैध महुआ देशी शराब के साथ कुल 23.100 लीटर के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त देशी महुआ शराब और जब्त साईकिल को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया।</p> <p>राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है।</p> <p>विपक्षीगण वाहन मालिक की ओर से न तो कारणपृच्छा दाखिल किया गया है और न ही कोई उपस्थित हुआ है। उक्त वाहन से देशी महुआ शराब बरामद हुआ जिससे यह</p>	


14.11.17


प्रतीत होता है कि जब्त वाहन अवैध कारोवार में संलिप्त है तथा विपक्षी को इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन साईकिल से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

अतः जब्त वाहन साईकिल को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।


समाहता,
सहरसा।



समाहता,
सहरसा।

ज्ञापांक 1797-2/विधि,

सहरसा, दिनांक 15-11-2017

प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा/अधीक्षक उत्पाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।


प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विधि शाखा, सहरसा।
14.11.2017